राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1254 / 2011 / अजमेर
मैसर्स अमर पुत्र श्री खजान सिंह
पंण्डित ढाबा के पीछे, श्रीनगर, अजमेर — अपीलीर्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट तृतीय,वृत–बी, अजमेर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री वी.के.गर्ग
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.11.2016

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 12 / 13–14 / अजमेर में पारित आदेश दिनांक 26.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। हस्तगत अपील में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय,वृत–बी, अजमेर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा सृजित मांग रू. 61,908 / –को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकर हैं कि दिनांक 22.11.2011 को मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स, ग्राम गोहारी एनएच–2 कोसी कला (मथुरा) से 15 ड्रम इण्डियल ट्रेडिंग एजेन्सी, इण्डस्ट्रीज ऐरिया, पाली के लिए 407 मिनी ट्रक से परिवनित किये जा रहे थे । वाहन खराब हो जाने पर एन.एच. 79 पंडित छाबा के पीछे श्रीनगर अजमेर के श्री श्री अमर के यहां रखवाया गया ताकि अन्य वाहन से माल भिजवाया जा सके। दिनांक 24. व 25.11.2011 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा श्री अमर पुत्र खजान सिंह के बयान दर्ज कर माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। श्री अमर ने माल से सम्बन्धित बिल संख्या 18 दिनांक 21.11.2011 प्रेषक मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स टिन नम्बर 09127602067 ग्रा गोहारी एन.एच.2 कोसी कला कला (मथुरा) से 15 ड्रम इण्डियन ट्रेडिंग एजेन्सी, पाली का टिन नम्बर 0801608266 प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त बिल की सत्यता की जांच करने पर इण्डियन ट्रेडिंग एजेन्सी, पाली के नाम से कोई फर्म नहीं पायी गयी तथा जो बिल पर टिन नम्बर अंकित था वह मैसर्स साईकृपा इण्डस्ट्रीज 80, ध्रुव मार्ग गुरूनानक पुरा राजा पार्क, जयपुर का पाया गया। इस प्रकार प्रस्तुत बिल व टिन नम्बर बोगस पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) व (13) के अन्तर्गत शास्ति रू. 42,210 / –व कर रू.

19,698 / – कुल रू. 61,908 / – की मांग सृजित कर आदेश दिनांक 02.01.2012 पारित किया। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने सृजित मांग को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलर्थी द्वारा बिटूमिल, इम्यूलसिन आदि पेट्रोलियम पदार्थो की खरीद बिक्री का कार्य किया जाता है। उनका कथन है कि वक्त जांच व्यवसाय स्थल पर 22 ड्रम बिटूमिन एवं इम्यूलसिन के पाये गये, जिनके सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिनियम ने अधिनियम की धारा 76 (6)(बी) का उल्लंघन मानकर शास्ति आरोपण हेतु सूचना पत्र जारी करने पर, उसके पालना में प्रस्तुत जवाब को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) व (13) के अन्तर्गत शास्ति रू. 42,210 / –व कर रू. 19,698 / – कुल रू. 61,908 / – की मांग सृजित की है, जो पूर्णतया अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि पाये गये माल के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत विहित वांछित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, जिनको मिथ्या अथवा असत्य प्रमाणित किये बिना ही उक्त मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण चेक पोस्ट अथवा बैरियर से गुजरने वाले माल पर ही आरोपित की जा सकती है जबकि हस्तगत प्रकरण में माल वक्त जांच संचलन(मूमेन्ट) में नही था तथा माल को ना तो जब्त किया गया और ना ही कोई जब्ती मीमो बनाया गया है। उनका कथन है कि वक्त जांच समस्त माल अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल पर था तथा माल सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित पूर्व में खरीद किया गया था। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) व (13) के अन्तर्गत सृजित मांग को यथावत रखा है, जो अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये माल से सम्बन्धित बिल संख्या 18 दिनांक 21.11.2011 प्रेषक मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स टिन नम्बर 09127602067 ग्रा गोहारी एन.एच.2 कोसी कला कला (मथुरा) से 15 ड्रम इण्डियन ट्रेडिंग एजेन्सी, पाली का

टिन नम्बर 0801608266 प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त बिल की सत्यता की जांच करने पर इण्डियन ट्रेडिंग एजेन्सी, पाली के नाम से कोई फर्म नहीं पायी गयी तथा जो बिल पर टिन नम्बर अंकित था वह मैसर्स साईकृपा इण्डस्ट्रीज 80, ध्रुव मार्ग गुरूनानक पुरा राजा पार्क, जयपुर का पाया गया। उनका कथन है कि इस प्रकार दस्तावेज मिथ्या एवं कूटरचित पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति रू. 42,210/–व कर रू. 19,698/– कुल रू. 61,908/– की मांग सृजित की है, जो पूर्णतया उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा है, जो विधिक है इसलिए प्रस्तुत अपील अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 22.11.2011 को मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स, ग्राम गोहारी एनएच–2 कोसी कला (मथुरा) से 15 ड्रम इण्डियल ट्रेडिंग एजेन्सी, इण्डस्ट्रीज ऐरिया, पाली के लिए 407 मिनी ट्रक से परिवनित किये जा रहे थे। वाहन खराब हो जाने पर एन.एच. 79 पंडित छाबा के पीछे श्रीनगर अजमेर से श्री अमर के यहां रखवाया गया ताकि अन्य वाहन से माल भिजवाया जा सके। दिनांक 24. व 25.11.2011 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा श्री अमर पुत्र खजान सिंह के बयान दर्ज कर माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। श्री अमर ने माल से सम्बन्धित बिल संख्या 18 दिनांक 21.11.2011 प्रेषक मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स टिन नम्बर 09127602067 ग्रा गोहारी एन.एच.2 कोसी कला कला (मथुरा) से 15 ड्रम इण्डियन ट्रेडिंग एजेन्सी, पाली का टिन नम्बर 0801608266 प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त बिल की सत्यता की जांच करने पर इण्डियन ट्रेडिंग एजेन्सी, पाली के नाम से कोई फर्म नहीं पायी गयी तथा जो बिल पर टिन नम्बर अंकित था वह मैसर्स साईकृपा इण्डस्ट्रीज 80, ध्रुव मार्ग गुरूनानक पुरा राजा पार्क, जयपुर का पाया गया। इस प्रकार प्रस्तुत बिल व टिन नम्बर बोगस पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) व (13) के अन्तर्गत शास्ति रू. 42,210/–व कर रू. 19,698/– कुल रू. 61,908/– की मांग सृजित कर आदेश दिनांक 02.01.2012 पारित किया।

पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये माल से सम्बन्धित बिल संख्या 18 दिनांक 21.11.2011 प्रेषक मैसर्स लक्ष्मी केमिकल्स टिन नम्बर 09127602067 ग्रा गोहारी एन.एच.2 कोसी कला (मथुरा) से 15

ड्रम इण्डियन ट्रेडिंग एजेन्सी, पाली का टिन नम्बर 0801608266 का अंकित है किन्तु उसकी सत्यता की जांच करने पर इण्डियन ट्रेडिंग एजेन्सी, पाली के नाम से कोई फर्म नहीं पायी गयी तथा जो बिल पर टिन नम्बर अंकित था वह मैसर्स साईकृपा इण्डस्ट्रीज 80, ध्रुव मार्ग गुरूनानक पुरा राजा पार्क, जयपुर का पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के साथ माल परिवहनित किया जा रहा था। उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी उजागर होता है कि माल पाली के लिए परिवहनित किया जा रहा था परन्तु व्यवहारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि माल का परिवहन का अन्त हो चुका है व डिलीवरी लेने का कोइ प्रमाण नहीं है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वक्त चेकिंग जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये वह मिथ्या एवं कूटरचित हैं।

अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उन्होंने प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा है, जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं समझती है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.03.2014 की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य